

प्रेस विज्ञापि
थाना-देवगाँव

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.10.2020 को आवेदिका श्रीमती चन्द्रकला देवी पत्नी गुरुदयाल निवासी कटघर लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थनापत्र वावत खुद की लड़की जो परीक्षा केन्द्र पर जाते समय अभियुक्त विशाल द्वारा छेड़खानी करना विरोध करने पर वादिनी के घर पर आकर शादी न करने पर धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल किये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 238/2020 धारा 354/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. अनिल सिंह को दिया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिये गये जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद था कि मुखबीर खास से सूचना मिली कि मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल बैरीडीह मोड़ पर कहीं भागने की फिराक में है इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर अभियुक्त विशाल उपरोक्त को समय करीब 12.20 बजे गिरफ्तार किया गया। वाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- विशाल पुत्र जयप्रकाश नि0 सन्त रविदास नगर कटघर लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.स. 238/2020 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना देवगाँव आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1- प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़
- 2- उ.नि. अनिल सिंह चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना-देवगाँव

चोरी की बैटरी के साथ दो चोर गिरफ्तार

दिनांक 18.10.2020 को आवेदक श्री संजय कुमार पुत्र शिवचरन निवासी भोजपुर थाना देवगाँव आजमगढ़ थाने पर आकर एक किता प्रार्थनापत्र सोलर लाइट की बैटरी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लेने के सम्बन्ध में दिये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 236/2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. विसर्जन सिंह को दिया गया।

प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव व उ.नि. विसर्जन सिंह चौकी पल्हना थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पल्हना मंदिर गेट पर मौजूद थे कि मुखबीर खास से सूचना मिली कि दो व्यक्ति ब्लाक गेट के बगल में एक बैटरी लेकर किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं वो संदिग्ध लग रहे हैं इस सूचना पर मैं उ.नि. मय हमराह के तत्काल बताये गये स्थान पर पहुँचा तो दो व्यक्ति बैटरी को एक टेम्पो में लाद रहे थे कि शक होना पर रोका व टोका गया तो पुलिस को देखकर भागना चाहा कि हमराही कर्मगण की मदद से दोनों अभियुक्तों के समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण:- पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा अपनी गलती की बात मानते हुए बताया गया कि यह बैटरी हम लोग दिनांक 08/09.10.2020 को रात्रि में संजय कुमार के दरवाजे पर लगी सोलर लाइट से चोरी किये थे जिसे आज बेचने के लिये लालगंज ले जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ ला गया वाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- सुजीत कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी भोजपुर थाना देवगाँव जनपद-आजमगढ़
- 2- पवन कुमार पुत्र श्याम कुमार निवासी भोजपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

बरामदगी:- एक अदद सोलर बैटरी न0 IDAA0818H, FASTER SOLAR PACK

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 236/2020 धारा 379/411 भादवि थाना देवगाँव आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1- प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव आजमगढ़

2- उ.नि. विसर्जन सिंह चौकी पल्हना थाना देवगाँव आजमगढ़